

**भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन**

मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

निर्माण कार्य अनुबंध

पर

सेवा कर की उगाही और संग्रहण

**संघ सरकार
राजस्व विभाग
अप्रत्यक्ष कर - सेवा कर
2015 की प्रतिवेदन संख्या 26**

को लोक सभा/राज्य सभा में प्रस्तुत की गई

विषय-वस्तु

विषय	पृष्ठ
प्राक्कथन	i
कार्यकारी सार	iii
अध्याय 1 : प्रस्तावना	1-11
1.1 पृष्ठ भूमि	1
1.2 संगठनात्मक ढांचा	2
1.3 विधिक प्रावधान	3
1.4 हमने यह विषय क्यों चुना	9
1.5 लेखापरीक्षा उद्देश्य	10
1.6 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र तथा कवरेज	10
1.7 लेखापरीक्षा निष्कर्ष	11
1.8 आभार	11
अध्याय 2 : मौजूदा प्रणालीयां तथा प्रक्रियाएं	13-29
2.1 विभाग द्वारा कार्य अनुबंध सेवा प्रदाताओं की पहचान	13
2.2 निर्धारिती का पंजीकरण न होना	14
2.3 पंजीकरण में विलम्ब	19
2.4 विवरणियां दर्ज न कराना	20
2.5 देरी से रिटर्न फाइल करने पर विलम्ब शुल्क न लगाना	22
2.6 रिटर्नों की समीक्षा	24
2.7 प्रेषण विवरण का सत्यापन न करना	25
2.8 आन्तरिक नियंत्रण	26
2.9 लेखापरीक्षा के लिए अनिवार्य इकाईयों का चयन	28
अध्याय 3 : सेवा कर की उगाही	31-37
3.1 भुगतान न किया गया सेवा कर	31
3.2 मुफ्त आपूर्ति के मूल्य को शामिल न करना	34
3.3 कराधान केन्द्र नियमावली का अनुचित प्रयोग	36
3.4 समय पर सेवा कर का भुगतान न करना	37
अध्याय 4 : सेनवेट क्रेडिट की प्राप्ति/उपयोगता	39-43
4.1 इनपुट सेवाओं का अनुचित क्रेडिट	39
4.2 शुल्क योग्य तथा छूट प्राप्त अन्तिम उत्पाद दोनों के लिए इनपुट	40
4.3 सेनवेट क्रेडिट की अधिक प्राप्ति	41
4.4 इनपुटों के अनुचित सेनवेट क्रेडिट	43

विषय	पृष्ठ
अध्याय 5 : छूटों की प्राप्ति	45-49
5.1 छूट की गलत प्राप्ति	45
5.2 छूट की अनुचित प्राप्ति	46
5.3 अन्य मामले	48
अध्याय 6 : अन्य अनुपालन मुद्दे	51-54
6.1 सेवा कर के दर की गलत प्रयोज्यता	51
6.2 ब्याज का गैर/कम भुगतान	52
संकेताक्षर	55